"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2012—माघ 26, शक 1933

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-2/2012/35.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	शासकीय पशु औषधालय	पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही	01 कार्य दिवस	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संस्था प्रभारी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ प्रभारी पशु चिकित्सालय/ विकासखण्ड	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	शासकीय पशु चिकित्सालय/ विकासखण्ड,	पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही	02 कार्य दिवस	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय/ विकासखण्ड	जिला/संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3.	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही	02 कार्य दिवस	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ प्रभारी चल चिकित्सा इकाई/ जिला कार्यालय	जिला/संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
4.	शासकीय पशु औषधालय	व्यक्तिमूलक योजना अन्तर्गत हितग्राही के चयन प्रस्ताव ग्राम पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण	10 कार्य दिवस	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, संस्था प्रभारी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, प्रभारी विकासखण्ड/पशु चिकित्सालय	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं
5.	शासकीय पशु चिकित्सालय/ विकासखण्ड	व्यक्तिमूलक योजना अन्तर्गत हितग्राही के चयन प्रस्ताव जनपद पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण	20 कार्य दिवस	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ प्रभारी विकासखण्ड/पशु चिकित्सालय	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
6.	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	व्यक्तिमूलक योजना अन्तर्गत हितग्राही के चयन प्रस्ताव जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण.	30 कार्य दिवस	जिला संयुक्त/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	जिला कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.